कार्यालय प्राचार्य, कि.शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1563 / स्था. / 2024 रायगढ़ दिनांक– 13 / 11 / 2024

/ / विज्ञप्ति / /

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर पत्र क्र. 574 / 126 / आउशि / राज.स्था / 2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, का पत्र क्र. 77 / नि.स. / स. / उ.शि. / 2012 / 2024, नवा रायपुर, दिनांक 12.07.2024 के द्वारा प्रसारित निर्देशों के अंतर्गत् (अतिथि व्याख्याता नीति–2024) के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याताओं के रूप में अध्यापन कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2024 कार्यालय समय तक आमंत्रित किये जाते हैं।

अध्यापन कार्य हेतु मानदेय प्रति कालखण्ड रू. 400 / –(प्रति दिवस, अधिकतम मानदेय रू. 1600 / –एवं प्रतिमाह अधिकतम मानदेय रू. 41600 / –) की सीलिंग के अधीन नीति–2024 अंतर्गत देय होगा।

निम्नांकित विषयों के अतिथि याख्याता का आवेदन आमंत्रित है.

क्रमांक	विषय	पद संख्या
1	वनस्पति शास्त्र	01
2	भूगोल	01

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि याख्याता एवं को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शिक्षक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताए तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
   स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक एवं अनु.जाति / अनु.जन. जाति / दिव्यांगजन अभ्यार्थियों के लिये 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. **आयु सीमा** अतिथि याख्याता अधिकतम 65 वर्ष तक ।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
4. संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी ।
5. ई–मेल से भेजे गये आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा ।
6. आमंत्रियों अभियार्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथपत्र देना होगा की संबंधित कि विरूद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधिन नहीं है। साथ ही अभियार्थी किसी अन्य शासकीय / अर्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं

पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभियार्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।

7. आवेदन उपरान्त संबंधी आमंत्रित चयनित अभियार्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8 अतिथि याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगा।

9 आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर स्वयं का पत्राचार का पता एवं महाविद्यालय का पता आवेदित विषय का होना आवश्यक है।

10 यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होगें।

13/11/24

प्र. प्राचार्य,
कि. शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय
रायगढ़ (छ.ग.)

कि. शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आवेदन–पत्र

(अध्यापन का विषय.................................)

आवेदक का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

जन्म तिथि :-

जाति / संवर्ग :-

पत्र व्यवहार का पता :-

मोब.नं. :-

शैक्षणिक योग्यता :-

उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/ उपाधि	बोर्ड / वि.वि.	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत्
हाई स्कूल				
हायर सेकेण्डरी				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
पी–एच.डी.				
नेट / स्लेट				
एम. फिल.				
अन्य (एन.सी.सी./एन. एस.एस./खेलकूद आदि)				

संलग्न सहपत्रों की सूची :–

(1) .... (2)..

(3) .... (4)..

(5) .... (6)..

(7) ....

//घोषणा//

मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान ....

नाम :–

दिनांक ....

//पावती//

श्री/श्रीमती/कु. .... पिता/पति ....का अतिथि व्याख्याता अध्यापन विषय .... हेतु निम्न सहपत्रों सहित (कुल सहपत्र संख्या ....) आवेदन पत्र प्राप्त किया।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता एवं दिनांक